भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 101

30 जुलाई, 2024 को उत्तरार्थ

विषय : एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड

***101. श्री परषोत्तमभाई रुपाला:**
श्री मनीष जायसवाल:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के अंतर्गत वित्तपोषण सुविधा वाली केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के उद्देश्य और उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान में उक्त योजना की स्थिति क्या है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या प्रधानमंत्री कुसुम योजना (घटक ग) को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) का हिस्सा बनाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड" के संबंध में दिनांक 30.07.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 101 के भाग (क) से (ग) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क) एवं (ख): किसानों की आय बढ़ाने के लिए न केवल कृषि उपज का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि आधुनिक फसलोपरांत प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के माध्यम से फसलोपरांत नुकसान को कम करना और किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। देश में फसलोपरांत प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर में मौजूदा अंतर को दूर करने के उद्देश्य से, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) की प्रमुख योजना 2020-21 में शुरू की गई थी, ताकि फार्म गेट स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के माध्यम से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके, ताकि किसान अपनी कृषि उपज को उचित रूप से संग्रहीत और संरक्षित कर सकें और कम फसलोपरांत नुकसान और बिचौलियों की कम संख्या होने से उपज को बेहतर मूल्य पर बाजार में बेच सकें। वेयरहाउस, कोल्ड स्टोर, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग यूनिट, राइपनिंग चैम्बर आदि जैसे बेहतर फसलोपरांत प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर से किसान सीधे बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को बेच सकेंगे और इस प्रकार, किसानों के लिए मूल्य प्राप्ति में वृद्धि होगी और इससे किसानों की समग्र आय में सुधार होगा। इसके अलावा, एआईएफ योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान देकर एग्रीकल्चर ईकोसिस्टम के सभी स्टेकहोल्डर को लाभान्वित करना है। एआईएफ के तहत लेंडिग इन्सटिट्यूशन के माध्यम से 01 लाख करोड़ रुपये के ऋण का प्रावधान किया गया है, जिसमें ऋण पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा 9% है। यह योजना 2020-21 से 2032-33 तक चालू है।

इस वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत सभी ऋणों पर ₹2 करोड़ की सीमा तक प्रति वर्ष 3% की दर से ब्याज छूट मिलती है। यह छूट अधिकतम 7 वर्षों के लिए उपलब्ध है। 2 करोड़ रूपए से अधिक के ऋणों के मामले में, ब्याज छूट 2 करोड़ रूपए तक सीमित है। इस वित्तपोषण सुविधा से उधार लेने वाले पात्र लाभार्थियों के लिए 2 करोड़ रूपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) योजना के अंतर्गत क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध है। इस कवरेज के लिए शुल्क का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।

इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों में किसान, कृषि उद्यमी, स्टार्ट-अप, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाईटी (पेक्स), विपणन सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), स्व-सहायता समूह (एसएचजी), संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, केंद्रीय/राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं, राज्य एजेंसियां, कृषि उपज मंडी समितियां (एपीएमसी), राष्ट्रीय एवं राज्य सहकारी संघ, किसान उपज संगठन (एफपीओ), स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के संघ शामिल हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के अंतर्गत पात्र परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:-

एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के तहत पात्र परियोजनाएं

1. निम्नलिखित परियोजनाएं सभी लाभार्थियों के लिए पात्र हैं, जिनमे निजी संस्थाओं के साथ साथ समूह जैसे एफपीओ, पेक्स, एसएचजी, जेएलजी, सहकारी समीतियाँ, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सहकारिता संघ, एफपीओ संघ, एसएचजी संघ, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियां शामिल हैं।

क. फसल-कटाई बाद प्रबंधन परियोजना

• ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म सहित आपूर्ति श्रृंखला सेवाएं
• गोदाम और साइलो
• शीत भंडागार और शीत श्रृंखला
• पैकेजिंग यूनिट

• परख यूनिट
• छँटाई और ग्रेडिंग यूनिट
• लॉजिस्टिक सुविधाएं- रीफर वैन और इंसुलेटेड वाहन
• राईपनिंग चैम्बर
• कृषि अवशेष/अपशिष्ट प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर
• प्राथमिक प्रोसेसिंग गतिविधियाँ

(ख) सामुदायिक कृषि परिसम्पत्तियां

• जैविक इनपुट का उत्पादन - वर्मीकम्पोस्टिंग आदि।
• कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) प्लांट
• जैव उत्तेजक उत्पादन यूनिट
• स्मार्ट और उपयुक्त कृषि के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर
• ड्रोन की खरीद, खेत में विशेष सेंसर लगाना, कृषि में ब्लॉकचेन और एआई आदि
• रिमोट सेंसिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) जैसे स्वचालित मौसम स्टेशन, जीआईएस एप्लीकेशन के माध्यम से फार्म एडवायजरी सेवाएं।
• नर्सरी
• टिश्यू कल्चर
• बीज प्रोसेसिंग
• कस्टम हायरिंग सेंटर-कृषि यंत्रीकरण/उपकरण (मात्रा में न्यूनतम 4)
• फार्म/फसल स्वचालन (कम्बाइन हार्वेस्टर, गन्ना हार्वेस्टर, बूम स्प्रेयर आदि)
• स्टैंडअलोन सोलर पंपिंग प्रणाली (पीएम-कुसुम घटक बी)
• (पीएम-कुसुम घटक सी) के तहत ग्रिड से जुड़े कृषि-पंप का सोलराईजेशन
• एकीकृत स्पिरुलिना उत्पादन और प्रोसेसिंग यूनिट
• रेशम उत्पादन प्रोसेसिंग यूनिट
• शहद प्रोसेसिंग
• पौध संगरोध यूनिट
• निर्यात क्लस्टर सहित फसलों के क्लस्टर के लिए आपूर्ति श्रृंखला इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान उपलब्ध कराने के लिए परियोजनाओं की पहचान की गई है।
• सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों या फसल-कटाई बाद प्रबंधन की परियोजनाओं के लिए पीपीपी के तहत केंद्र/राज्य/स्थानीय सरकारों या उनकी एजेंसियों द्वारा प्रचारित परियोजनाओं को बढ़ावा दिया गया।

2. सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के रूप में निम्नलिखित परियोजनाएं फसल-कटाई बाद की प्रबंधन परियोजनाओं हेतु केवल एफपीओ, पेक्स, एसएचजी, जेएलजी, सहकारी समिति, राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय सहकारी संघ, एफपीओ संघ, एसएचजी संघ, राष्ट्रीय व राज्य स्तर की एजेंसी आदि पात्र हैं।

• हाइड्रोपोनिक खेती
• मशरूम की खेती
• वर्टीकल खेती
• एरोपोनिक खेती
• पॉली हाउस/ग्रीन हाउस
• रसद सुविधाएं (नोन-रेफ्रीजरेटीड/इन्सुलेटेड वाहनों सहित)
• ट्रैक्टर

दिनांक 26.07.2024 तक, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के तहत 72,222 परियोजनाओं के लिए 46,080 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, इन स्वीकृत परियोजनाओं ने कृषि क्षेत्र में 76,305 करोड़ रुपये का निवेश जुटाया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के तहत स्वीकृत प्रमुख परियोजनाओं में 17,899 कस्टम हायरिंग सेंटर, 15,643 प्राथमिक प्रोसेसिंग यूनिट, 13,469 वेयरहाउस, 3,021 छंटाई और ग्रेडिंग यूनिट, 1,852 कोल्ड स्टोर परियोजनाएँ, फसल कटाई बाद प्रबंधन के लिए लगभग 20,338 अन्य प्रकार की परियोजनाएँ और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियाँ शामिल हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के अंतर्गत वर्ष-वार प्रगति का विवरण नीचे दिया गया है।

वर्ष	स्वीकृत सं.	कुल परियोजना लागत	मंजूर की गई ऋण राशि करोड़ रूपए में
2020-21	5,682	4,691	3,838
2021-22	5,785	9,613	5,749
2022-23	15,973	24,181	13,031
2023-24	33,915	28,782	17,399
2024-25*	10,867	9,038	6,063
कुल	72,222	76,305	46,080

*दिनांक 26 जुलाई 2024 तक

(ग): जी हाँ, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमओएनआरई) की प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना के घटक बी और सी के अंतर्गत परियोजनाओं का सोलराईजेशन, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) योजना के अंतर्गत पात्र गतिविधि के रूप में शामिल है। पीएम-कुसुम योजना कृषि क्षेत्र को डीजल पर निर्भरता कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए है। इस योजना के अंतर्गत, स्टैंडअलोन सोलर पंप (घटक-बी) की स्थापना और मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों (घटक-सी) के सोलराईजेशन के लिए केंद्र सरकार सब्सिडी के रूप में सामान्य राज्यों के लिए कुल लागत का 30% या पहाड़ी एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 50% तक देती है। पीएम-कुसुम योजना घटकों और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है।

1. योजना का विवरण:

पीएम-कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) मार्च, 2019 में सरकार द्वारा शुरू की गई नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को स्टैंडअलोन सोलर पंप लगाने और मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सोलराइज़ करने तथा उनकी बंजर/परती कृषि भूमि पर सोलर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य 30.80 गीगावाट की सोलर क्षमता बढ़ाना है, जिसका कुल केंद्रीय वित्तीय परिव्यय 34,422 करोड़ रुपये है, जिसमें कार्यान्वयन एजेंसियों के पात्र सीएफए पर 2% का सर्विस चार्ज शामिल है। इस योजना के कार्यान्वयन की समय-सीमा 31.03.2026 तक बढ़ा दी गई है।

2. योजना के उद्देश्य:

पीएम-कुसुम के उद्देश्यों में कृषि क्षेत्र को डीजल पर निर्भरता कम करना, किसानों को जल और ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना, किसानों की आय बढ़ाना, पर्यावरण प्रदूषण पर अंकुश लगाना और देश की सोलर वाटर पंप निर्माण क्षमता को बढ़ाना शामिल है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस योजना के तहत निम्नलिखित लक्ष्य रखे गए हैं:

i. **घटक-ए:** 10,000 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड ग्रिड से जुड़े सोलर ऊर्जा संयंत्र।

ii. **घटक-बी:** 20 लाख स्टैंडअलोन सोलर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना जो किसान अपने खेत के लिए उपयोग कर सकते हैं।

iii. **घटक-सी:** 15 लाख ग्रिड कनेक्टेड सोलर ऊर्जा से चलने वाले कृषि पंपों की स्थापना जिसे किसान अपने खेत में उपयोग करने के साथ-साथ ग्रिड को आपूर्ति कर सकते हैं।

3. <u>एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के तहत पीएम कुसुम घटकों का कन्वर्जेंस</u>

I. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के घटक बी और सी के अंतर्गत परियोजनाएं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) योजना के अंतर्गत पात्र गतिविधियां हैं।

ii. व्यक्तिगत किसानों/किसानों के समूह/किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ)/कोऑपरेटिवज/पंचायतों के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के अंतर्गत पीएम कुसुम के घटक-ए को शामिल करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

4. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के तहत पीएम-कुसुम परियोजनाओं का विवरण

(लोन की राशि करोड़ में)

राज्य/जिला	स्वीकृत परियोजनाएं	स्वीकृत राशि
पंजाब	**835**	**20.88**
अमृतसर	4	0.14
बटिंडा	239	6.10
फरीदकोट	35	0.81
फतेहगढ़ साहिब	1	0.03
फाजिल्का	312	6.63
फिरोजपुर	8	0.22
गुरदासपुर	7	0.16
होशियारपुर	10	0.70
जालंधर	3	0.11
कपुरथला	1	0.07
लुधियाना	8	0.22
मलेरकोटला	1	0.05
मनसा	22	0.80
मोगा	2	0.05
पठानकोट	3	0.05
पटियाला	3	0.06
रूपनगर	13	0.22
श्री मुक्तसर साहिब	161	4.41
तरनतारन	2	0.05
पश्चिम बंगाल	**73**	**1.74**
हुगली	2	0.13
मालदा	2	0.07
मुर्शिदाबाद	63	1.39
नाडिया	3	0.04

उत्तरी 24 परगना	1	0.03
पुरूलिया	2	0.08
राजस्थान	**2**	**0.06**
गंगानगर	1	0.03
हनुमानगढ़	1	0.03
उत्तर प्रदेश	**1**	**0.03**
मुजफ्फर नगर	1	0.03
सकल योग	**911**	**22.71**

****